

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB GURGAON Year (वर्ष): 2021
FIR No. (प्र.सू. सं.): 0013 Date and Time of FIR (प्र.सू. की दिनांक और समय): 26/10/2021 13:29 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 26/10/2021 Time (समय): 12:50 hrs
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 013 Date and Time (दिनांक और समय): 26/10/2021 13:04 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 11 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): डी0एल0एफ0 थाना गुरुग्राम,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): VIR SINGH
(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 08/02/1964 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):
(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	GHATASHER, NANGAL CHAUDHRI, MAHENDERGARH, HARYANA, INDIA

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

2	Permanent Address	GHATASHER, NANGAL CHAUDHRI, MAHENDERGARH, HARYANA, INDIA
---	-------------------	--

(i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9812994267

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	SI नरेन्द्र कुमार न0 125 GGM			1. थाना सुशान्तलोक गुरुग्राम, GURUGRAM, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक अफसर राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम निवेदन है कि जाँच क्रमांक 15 दिनांक 06.12.2019 गुरुग्राम मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ़ के यादि क्रमांक 71/34/2019-5 चौ0-1 दिनांक 03.12.2019 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय में दर्ज रजिस्ट्रार की जाकर उनके कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 18966/T-2/SVB (H) दिनांक 06/12/2019 के अनुसार पडताल हेतु राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम में प्राप्त हुई थी जिसकी पडताल श्री विरेन्द्र सिंह (ह0पु0से0) उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम की गई थी जिसमें आरोप:- "यह है कि अभियोग संख्या 349 दिनांक 23.11.2017 धारा 420,166,167,384,465,467,468,471,120 बी भा0द0स0 व 7,8,10,12,13,13(1) डी0 , 15 भ्रष्टाचार अधिनियम थाना शिवाजी नगर गुरुग्राम का अनुसंधान जितेन्द्र गहलावत ह0पु0से0 उप पुलिस अधीक्षक मुख्यमन्त्री उडनदस्ता गुरुग्राम द्वारा अमल में लाया जाने के दौरान अनुसंधान कर्ता एवं उडनदस्ता मुख्यमन्त्री गुरुग्राम में ही तैनात उप निरीक्षक मदनलाल ,उप निरीक्षक जोगिन्द्र सिंह द्वारा एवं थाना सुशान्तलोक गुरुग्राम में तैनात उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार के माध्यम से उपरोक्त मुकदमा में नाजायज आरोपी बलवीर सिंह (आर0टी0ए0 कार्यालय) से 5 लाख रुपये उप निरीक्षक नरेन्द्र द्वारा रिश्वत लेने उपरान्त 5 लाख रुपये की और डिमाण्ड करने वारे एवं उपरोक्त मुकदमा में अन्य नाम जद मुख्य आरोपी सुरेन्द्र एवं हर्ष कुमार के खिलाफ ठोस सबूत होने पर भी पैसे लेकर नाम निकालने बारे आरोप अंकित किये हुए है " इस आरोप की पडताल से जाँच अधिकारी द्वारा पाया गया कि शिकायतकर्ता बलवीर सिंह पुत्र दरियाव सिंह निवासी मकान न0 936 से0 3 रेवाडी, जो परिवहन निरीक्षक आर0टी0ए0 कार्यालय रेवाडी में कार्यरत था, उसके व अन्य के विरुद्ध अभियोग संख्या 349 दिनांक 23.11.2017 धारा 420,166,167,384,465,467,468,471,120 बी भा0द0स0 व 7,8,10,12,13,13(1) डी0 , 15 भ्रष्टाचार अधिनियम थाना शिवाजी नगर गुरुग्राम में गुप्तचर विभाग की सोर्स रिपोर्ट व नियम अनुसार इन्टरसैप्टर पर लिये गये मौवाईल न0 9582599898, 9468474207 व 9467794105 की भ्रष्टाचार सम्बन्धित ओडियो सी0डी0 की वार्तालाप के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक मुख्यमन्त्री उडनदस्ता रोहतक की तहरीर पर दर्ज रजिस्ट्रार किया गया था इस अभियोग की तपतीश श्री जितेन्द्र सिंह गहलावत, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यमन्त्री उडनदस्ता द्वारा अमल में लाई गई थी । शिकायतकर्ता बलवीर सिंह ने अपने परिचित अपने ही गांव के व्यक्ति विजय कुमार पुत्र श्री जिलेसिंह व श्री देविन्द्र पुत्र श्री राम कुमार निवासी गांव छितरौली जिला महेन्द्रगढ़ से 5 लाख रुपये उधार लेकर देवेन्द्र कुमार के माध्यम से श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक थाना सुशान्तलोक गुरुग्राम को दिये, देवेन्द्र पुत्र श्री रामकुमार वासी छितरौली हाल मकान न0 647/22 गाँधी नगर गली न0 6 गुरुग्राम के अनुसार दिनांक 26.10.2018 को 5 लाख रुपये उप निरीक्षक नरेन्द्र को डी0एल0एफ0 थाना गुरुग्राम में देकर आये थे । इस वारे शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई ओडियो सी0 डी0 में तीन रिकोडिंग है प्रथम रिकोडिंग माह जनवरी 2020 में, द्वितिय रिकोडिंग माह दिसम्बर 2019 में, ईश्वर सिंह सरपंच के मकान गांव प्राणपुरा से प्रतिवादी नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक से वाटस-अप करने के दौरान वार्तालाप करने वाले फोन सैट से अन्य फोन के माध्यम से एव तृतीय रिकोडिंग दिनांक 25.09.2019 को शिकायतकर्ता द्वारा खुद की जेब में ईलैक्ट्रॉनिक डिवाइस रखकर उपायुक्त आवास गुरुग्राम के सामने बने पार्क के पास रिकोडिंग की गई । ईश्वरसिंह सरपंच के अनुसार उप निरीक्षक नरेन्द्र को नवम्बर या दिसम्बर 2018 में 2,50,000/रु0 मानेसर आई0एम0टी0 फ्लाइं ओवर के पास दिये गये थे । शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक ने उसको अभियोग से निकालने की एवेज में 5 लाख रुपये मुख्यमन्त्री उडनदस्ता के अधिकारी श्री जितेन्द्र गहलावत उप पुलिस अधीक्षक ,श्री मदनलाल व जोगिन्द्र सिंह उप निरीक्षक मुख्यमन्त्री उडनदस्ता को देने के लिये प्राप्त किये परन्तु ओडियो सी0डी0 में इस राशी को उडनदस्ता विभाग के अधिकारी व किसी भी कर्मचारी को देने वारे कोई विवरण नहीं पाया गया । प्रतिवादी उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार द्वारा कही गई बातचीत में शिकायतकर्ता बलवीर सिंह को अभियोग से निकालने वारे उप निरीक्षक मदनलाल ,उप निरीक्षक जोगिन्द्र सिंह से बातचीत बारे सी0डी0 अनुवाद का गहनता से अध्ययन करने पर उप निरीक्षक मदनलाल ,उप निरीक्षक जोगिन्द्र सिंह से सीधी कोई बातचीत होनी नहीं पाई गई और ना ही कोई साक्ष्य जाँच के दौरान सामने आया । उप निरीक्षक मदनलाल अभियोग संख्या 349/2017 का अनुसंधानकर्ता नहीं था शिकायतकर्ता के बच्चों को अभियोग में आरोपी नहीं बना सकता है । पडताल के दौरान जांच में फाईल पर आये साक्ष्यों के अनुसार नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक न0 125/ गुरुग्राम थाना सुशान्तलोक गुरुग्राम के विरुद्ध जेर धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत अभियोग अंकित करने का सुझाव दिया गया था इसके अतिरिक्त दौरान तपतीश किसी कर्मचारी /अधिकारी व अन्य व्यक्ति की अपराधिक सलिप्ता पाई जाती है तो उसे भी देख लिया जाने का सुझाव दिया गया था । उप पुलिस अधीक्षक श्री विरेन्द्र सिंह राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम द्वारा जांच की अन्तिम रिपोर्ट तैयार करके उपरोक्त आरोपी के विरुद्ध अभियोग दर्ज करने के लिए उचित माध्यम से महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकूला को भेजी गई थी । मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 71/34/2019-5 चौकसी -1 दिनांक 01.10.2021 व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकूला के पृष्ठ क्रमांक 16523/सिस्ट्रेट/रा0चौ0ब्यूरो (ह) दिनांक 05.10.2021 पंचकूला के अनुसार आरोपी उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार के विरुद्ध अभियोग अंकित करने बारे आदेश प्राप्त हुए है उपरोक्त विवरण अनुसार उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार न0 125/ गुरुग्राम द्वारा जेर धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम का अपराध किया है अतः उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार न0 125/गुरुग्राम थाना सुशान्त लोक के विरुद्ध जेर धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर मुख्य सिपाही बीर सिंह 1988/फरी0 के हवाले की गई तथा हिदायत की गई कि अभियोग अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट व अफसरानवाला की सेवा में बिना किसी देरी के भिजवाई जावे । वा हुकम अफसरवाला के आदेश अनुसार अभियोग का अनुसंधान आगामी कार्यवाही हेतु निरीक्षक सुरेश कुमार राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम के पास रिकार्ड सहित भिजवाई जावे । SD Vir Singh Insp. निरीक्षक वीर सिंह राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम । AT 12.50 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्ट्रार किया गया FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा में इलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट साहब गुरुग्राम बदस्त मु0सि0 बीर सिंह न0 1988/फरीदाबाद के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश निरीक्षक सुरेश कुमार रा0 चौ0 ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा मु0सि0 बीर सिंह न0 1988/फरीदाबाद के हवाले की गई । नोट- श्री मान जी, CCTNS में तकनीकी खराबी के कारण CCTNS में प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नहीं किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): SURESH KUMAR Rank (पद): I (Inspector)
 No. (सं.): 299GGN to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): KULDEEP SINGH

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1976				Is Proxitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)